यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकासनगर के माह 10/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.10.2020 से 20.10.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

परिचयात्मक– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.10.2017 से 02.11.2017 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 05/2012 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 10/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र– विकास नगर।

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

(₹ लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत
	स्थापना	गैर – स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017–18			575.73	575.73	23.40	23.10	–	0.30
2018–19	–	–	387.13	387.13	23.61	22.94	–	0.67
2019–20	–	–	606.15	606.15	27.22	25.03	–	2.19
2020–21 (09/20)	–	–	276.34	276.34	9.53	5.30	–	4.23

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2017–18					
2018–19		–	शून्य		
2019–20		–	शून्य		
2020–21 (09/20)		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकास नगर 'सी' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उप जिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वसिल वाकी नवीस
पेशकार उप जिलाधिकारी
रजिस्ट्रार कानूनगो

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकास नगर की लेखापरीक्षा में लेन–देन–कम–अनुपालन को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 एवं 10/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग 2 ब

प्रस्तर 01- ₹ 1.72 लाख GST की वसूली न करना।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, सभी प्रकार की आईटी सॉफ्टवेयर आपूर्ति, सेवाओं, मीडिया पर उत्पाद आपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक डाउनलोड और बौद्धिक संपदा के अस्थायी हस्तांतरण पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगी। आगे, उत्तराखंड शासन के आदेश दिनांक 21 मार्च 2015 द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओ के सम्बंध मे प्रति आवेदन ₹ 30.00 शुल्क दर निर्धारित की गई थी। कार्यालय के ई-डिस्ट्रिक्ट अभिलेखों के जांच मे पाया गया की तहसील विकास नगर, ऋषिकेश के परिसर में स्थित जन सुविधा केंद्र द्वारा वर्ष 2018-19 से 13.10.2020 तक कुल 31766 प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गए जिसके सापेक्ष शुल्क के रूप में ₹ 9.53/- लाख की धनराशि प्राप्त की गयी थी। आगे, अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि उक्त प्राप्त धनराशि पर आवेदकों से प्रति आवेदन ₹ 30.00 शुल्क पर देय 18 प्रतिशत ₹ 5.40 की दर से ₹ 1.72 लाख की जीएसटी प्राप्त नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उपजिलाधिकारी ने उत्तर दिया कि उच्च स्तर से पत्राचार कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः ₹ 1.72 लाख की जीएसटी प्राप्त न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 02– अनविज्ञ मदों की धनराशि ₹ 46.78 लाख एवं हर्जाना की धनराशि ₹ 0.54 लाख का बैंक खाते में अवरूद्ध रहना।

शासन के पत्र संख्या–99/xxvii (14)/2009, तद ्दिनांक सितम्बर, 2009 में स्पष्ट उल्लेख कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा(Park) की जाती रही है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम–9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड़–5 भाग–1 के प्रस्तर–21 व 22–बी के विपरीत है।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकास नगर के बैंक खातों से सम्बंधित अभिलेखों तथा उपलब्ध करवायी गयी सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या–11248205314 का संचालन किया जा रहा था, जो तहसीलदार के पदनाम से था। उक्त खातें में दिनांक 16 अक्टुबर, 2020 को ₹ 4732238/ जमा थी। उक्त जमा धनराशि में ₹ 54247/ नजारत अनुभाग के पंजिका संख्या–04 दर्ज ग्राम समाज हर्जाने की वसूली की धनराशि थी तथा शेष धनराशि ₹ 4677991/ अनविज्ञ मदों की जमा थी। हर्जाने के वसूली की उक्त धनराशि को जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जानी थी तथा अनविज्ञ मदों की धनराशि के सम्बंध में उच्चाधिकारियों से दिशा–निर्देश प्राप्त करके निस्तारण किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि हर्जाने की धनराशि को यथाशीघ्र जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि के संबंध में उच्चाधिकारी से पत्राचार कर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी और लेखापरीक्षा को भी अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 03– मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि ₹ 159.78 लाख के वितरण में शासनादेश में निहित शर्तों की अवहेलना का प्रकरण।

मुख्यमंत्री कार्यालय, देहरादून के अर्द्धशा0 पत्रांक दिनांक 20.08.2020 के द्वारा जिलाधिकारी को मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के **संबंध** में निर्देशित किया गया था कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान नियमानुसार लाभार्थियों करते हुए लाभार्थियों से स्टाम्पयुक्त रसीद एवं यथा आवश्यक वांछित अभिलेख प्राप्त कर जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जायें तथा उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि अनुदान गृहिता द्वारा धनराशि प्राप्त करने की तिथि से 06 माह के अन्दर अनुदान का उपयोग कर लिया जाये**।** वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को वितरित की गयी कुल अनुदान की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप (जी0एफ0आर0–19ए) पर शासन को प्रेषित किया जाय**,** जिसमें यह उल्लेख होगा कि शर्तो एवं उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया तथा लाभार्थी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन में किया गया, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत धनराशि लाभार्थी को भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष या किसी अन्य मंत्री के विवेकाधीन से ऐसी सहायता प्राप्त नहीं हुयी है, इस आशय का लाभार्थी से प्रमाण–पत्र लेने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का वितरण किया जायेगा।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकासनगर के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सम्बंधित अभिलेखों तथा जनपद कार्यालय को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 मे ₹ 11420300/, वर्ष 2018–19 में ₹ 1202200/ एवं वर्ष 2019–20 में ₹ 3356000/ अर्थात कुल ₹ 15978500/–की धनराशि 2773–लाभार्थियों को उक्त वित्तीय वर्षों में वितरित की गयी। वितरण के बाद लाभार्थियों से स्टाम्पयुक्त प्राप्ति रसीद एवं उक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किये। जनपद को प्रेषित किये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्रों में भी उक्त शासनादेश में निहित शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप जनपद को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्र में उक्त उल्लेख तथा लाभार्थियों से उक्त प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि अनुदान जिस प्रयोजन हेतु दिया गया था, **उसका उपयोग** उसी प्रयोजन **के लिए हुआ अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका।**

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
52 / 2017–18	शून्य	01,02,03,04	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
52 / 2017–18	भाग दो ब प्रस्तर 1 गृह अनुदान मद के अन्तर्गत रू 27.55 लाख का सत्यापन नहीं किया जाना।	प्रश्नगत धनराशि से तीक्ष्ण एवं आंशिक क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत दैवीय आपदा के मानकों एवं विधिवत की गयी है जिनका सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की संवीक्षा व सत्यापन के आधार पर प्रस्तर को निस्तारण की संस्तुति की जाती है	
	प्रस्तर–2 रू 19200 / राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना ।	सम्बंधित अधिकारी से प्रश्नगत धनराशि की विधिवत वसूली की जा चुकी।	–तदैव–	
	प्रस्तर 3 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि रू 146.87 लाख की वसूली का न किया जाना।	वसूली प्रमाण–पत्र की धनराशि रू 146.87 लाख की वसूली न किया जाना।	–तदैव–	
	प्रस्तर 4 आयुध लाईसेंस फीस के न्यूनारोपण से रू 76050 / की राजस्व क्षति ।	53 अग्नि आयुध लाईसेंस धारकों मे से 30 लाईसेंस धारकों से अवशेष धनराशि की वसूली की जा चुकी थी शेष 23 लाईसेंस धारकों से वसूली की कार्यवाही प्रचलित थी।	समस्त लाईसेंस धारकों से पूर्ण वसूली होने तक प्रस्तर यथावत रखने की संस्तुति की जाती है।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकास नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः– शून्य

2. सतत् अनियमिततायेंः– शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष / डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया–

क. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री जितेन्द्र कुमार	उप जिलाधिकारी	30.09.2016	27.02.2019
2	श्री कमलेश मेहता	उप जिलाधिकारी	27.02.2019	05.03.2019
3	श्री कौस्तुभ मिश्र	उप जिलाधिकारी	06.03.2019	21.01.2020
4	श्री सौरभ असवाल	उप जिलाधिकारी	22.10.2020	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उप जिलाधिकारी, विकासनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार / ए0एम0जी0–III को प्रेषित कर दी **जाये**।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III